

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

अ०स०:-मु0अ0-4(मु0) विविध(कार्य)-06-32/ 2023 2197

/पटना, दिनांक :- 28/4/23

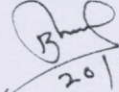
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत छूटे ग्रामों/टोलों/बसावटों जिसे अभी तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्राप्त नहीं है, की सूची तथा इसके लिए प्रस्तावित पथ की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी माननीय मंत्री महोदय को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री महोदय के स्तर से भेजे गये अर्द्धसरकारी पत्र निर्गत करने के क्रम में श्री राहुल राजा, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, अग्रिम योजना प्रमंडल-2(प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) द्वारा पदीय गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुये सामान्य शिष्टाचार नहीं प्रदर्शित की गयी। उनका यह कृत्य शिष्टाचार विहीनता, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

2. अतः उक्त बरती गयी शिष्टाचार विहीनता, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए श्री राहुल राजा, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, अग्रिम योजना प्रमंडल-2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अंगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री राजा का मुख्यालय कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री राजा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

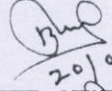
5. श्री राजा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रेतर कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।


20/04/2023
(भगवत राम)
मुख्य अभियंता-4

ज्ञापांक :- मु0अ0-4(मु0) विविध(कार्य)-06-32/ 2023 2197

/पटना, दिनांक :- 28/4/23

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम अंचल-2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राहुल राजा, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, अग्रिम योजना प्रमंडल-2(प्रतिनियुक्त MMGSY कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/04/2023
मुख्य अभियंता-4

